न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 02 / 2017

श्री हेमराज पुत्र श्री रामेश्वर कौम यादव निवासी लेसवा तहसील–पुष्कर जिला– अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट

2. राजस्व अपील संख्या 03 / 2017

श्री सुरजमल पुत्र श्री रामेश्वर जाति यादव निवासी ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला–अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री कर्णवीर सिंह शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 06.12.2017

उपरोक्त दोनों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें। संक्षिप्त में दोनों ही अपीलों के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत 2073 में श्री हेमराज यादव पुत्र श्री रामेश्वर जाति यादव निवासी ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला–अजमेर के द्वारा ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा संख्या 1496 रकबा 0.44, 1497 रकबा 0.26, व 1498 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल बाजरा काश्त कर अतिचार किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार श्री सूरजमल पुत्र श्री रामेश्वर जाति यादव निवासी ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला–अजमेर के द्वारा ग्राम लेसवा तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित सिवाय चक आराजी खसरा सं0 1523 / 1659 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म बारानी भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल बाजरा काश्त कर अतिचार किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का की इन रिपोर्टो के आधार पर तहसीलदार पुष्कर द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 51 / 2016 व 52 / 2016 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 28.09.2016 को अतिक्रमी को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व शास्ति कायम करने के साथ ही खडी फसल को जब्त सरकार कर नीलाम किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब

Scanned by CamScanner

किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दू पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया गया। केवल पत्रावली पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा कर आक्षेपीय ओदश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पिछले 30–35 वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट सद्भावी कृषक एवं खेतीहर मजदूर है, तथा विवादित भूमि के अतिरिक्त उनके पास आय का अन्य कोई जरिया भी नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जाकर अपील अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जावें कि वे अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलान्ट के पक्ष में विवादित भूमि के नियमन/आवंटन की कार्यवाही करें।

विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। इस तथ्य को स्वयं अपीलान्ट भी स्वीकार कर रहें है, जहॉ तक विवादित भूमि पर उनका पुराने कब्जे काश्त का प्रश्न है। अपने कथनों के समर्थन में उनके द्वारा कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर उनका लगभग 30–35 वर्षो से कब्जा काश्त होने सम्बन्धी कथनों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य/आधार प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2016 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

06/12/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner